

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग  
(अनुभाग-3)



क्रमांक एफ 7(5)ग्रावि/नरेगा/अनु.-3/रो.सा.प्ला./2014जयपुर, दिनांक

7 DEC 2015

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
महात्मा गांधी नरेगा,  
समस्त राजस्थान।

विषय :- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत सड़क किनारे वृक्षारोपण।


महोदय,

महात्मा गांधी नरेगा योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में मांग के आधार पर परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराने के साथ-साथ लाभकारी परिसम्पतियों का निर्माण करना है। सड़क किनारे वृक्षारोपण योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों के आजीविका हेतु एवं दीर्घकालिक उत्पादन एवं हरे भरे परिसंपत्ति का निर्माण करना है।

महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत सड़क किनारे वृक्षारोपण हेतु कार्य योजना विभाग के पत्रांक एफ 7 (5) ग्रा.वि/नरेगा/गुप-3/रो.सा.प्ला/2014 जयपुर दिनांक 01.05.2015 द्वारा जारी की जा चुकी है।

उक्त कार्य योजना के परिशिष्ट-4 के कम संख्या 6 पर संरक्षण हेतु जीवित पौधों के आधार पर 15 रुपये प्रति पौधा प्रति माह के प्रावधान को 19 रुपये प्रति पौधा प्रति माह संशोधित किया जाता है। शेष दिशा-निर्देश पूर्व निर्देशानुसार यथावत रहेंगे।

भवदीय

  
(रोहित कुमार)  
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
2. अधिशाषी अभियन्ता ईजीएस समस्त राजस्थान।
3. कार्यक्रम अधिकारी एवं विकास अधिकारी, समस्त राजस्थान।
4. श्री रिंकु छीपा, एमआईएस मैनेजर को ई-मेल वास्ते।
5. रक्षित पत्रावली।

७३

परि.निदे.संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस